



इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांक : 9386

/संपदा/2023

दिनांक : 8 SEP 2023

प्रति,

Reference No :13610492

अनापत्ति प्रमाण पत्र

संपत्ति मॉर्गेज

श्री /श्रीमती RAVINDRA SINGH BHADORIA S/O BHAGWANT SINGH BHADORIA

निवासी - 5/5, POLICE LINE, PALASIA, INDORE INDORE

विषय :- प्राधिकारी की योजना क्रमांक 136 136 के संपत्ति क्रमांक 33B के मॉर्गेज (Mortgage) अनुमति बाबद।

संदर्भ :- आपका आवेदन आवक क्रमांक 66912 दिनांक 08/09/2023

योजना क्रमांक 136 136 सेक्टर B के संपत्ति क्रमांक 33B कुल क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर RESIDENTIAL उपयोग हेतु प्रथम 30 वर्ष की लीज (लीज अवधि दिनांक 20/12/2013 से 19/12/2043 तक) पर श्री /श्रीमती RAVINDRA SINGH BHADORIA S/O BHAGWANT SINGH BHADORIA निवासी -5/5, POLICE LINE, PALASIA, INDORE INDORE को आवंटित/ अतरित किया गया है। पहा धारक पर आवटन, इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्त बधजकारक है। संपत्ति का मूल्यांकन लेन्डिंग एवं लीजडीड प्राधिकारी कोष में जमा है।

उक्त संपत्ति पर आवश्यक कृण प्राप्त करने के लिये प्रतिवर्ष ली जाने वाली लीज का हक कायम रखते हुए, अगर उक्त संपत्ति किसी बैंक, वित्तीय संस्था या शासन के पास गिरवी (Mortgage) रखा जाता है तो पाधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। लीजडीड में उल्लेखित समस्त शर्ते आवंटिती/ अतरिती पर बधजकारक होंगी।

आवटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर मॉर्गेज (Mortgage)/ विक्रय (Sale) एन.ओ.सी. जारी की गई है तो वह इस मॉर्गेज (Mortgage)/ विक्रय (Sale) एन.ओ.सी. जारी होने के दिनांक से स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

यह मॉर्गेज (Mortgage) अनुमति आवेदक के पत्र दिनांक 08/09/2023 के संदर्भ में दी जा रही है। उक्त संपत्ति हेतु यदि पूर्व में प्राधिकारी द्वारा मॉर्गेज (Mortgage)/ विक्रय (Sale) एन.ओ.सी. जारी की गई है तो वह इस मॉर्गेज (Mortgage)/ विक्रय (Sale) एन.ओ.सी. जारी होने के दिनांक से स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

[Signature]
प्राधिकारी अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर
प्रधारी अधिकारी (एकल छिपकली)
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452003 (म.प्र.)

website: idaindore.org
E-mail : idaindore7@yahoo.co.in

इ.पी.वी.एक्स: 2531312 2434541 2533355

कब्जे के लिए सूचना - पत्र

दिनांक: 11 DEC 2013

कमांक: 8462

प्रति,

RAVINDRA SINGH BHADORIA
5/5, POLICE LINE,
PALASIA,
INDORE

संदर्भ कमांक: 13610492

रजिस्टर्ड ए.डी.

विषय:- योजना कमांक 136 सेक्टर B के भूखण्ड कमांक 33B के कब्जे बाबद।

- योजना कमांक 136 सेक्टर B के भूखण्ड कमांक 33B जिसका अंदाजन क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर है, आपको पत्र कमांक 4554 दिनांक 16/07/2013 द्वारा आबंटित किया गया है। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम 1975 के नियम 43 के अनुसार उक्त भूखण्ड का अंदाजन क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर होने संबंधी एवं कब्जा दिए जाने संबंधी सूचना दी जा रही है।
- उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 30/12/2013 को प्रातः 10.30 बजे आप साईट ऑफिस पर आकर प्राप्त करे। कब्जा प्राप्त करते समय आपको यह सूचना पत्र मूलतः एवं आपका फोटो पहचान पत्र (ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड) एवं उसकी फोटोप्रति लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सकेगा।
- यदि आप कब्जा लेने के लिये निश्चित समय पर उपस्थित नहीं हुए तो यह माना जावेगा कि भूखण्ड का कब्जा आपको प्राप्त हो गया है। इस प्रकार प्राधिकारी के अभियन्ता द्वारा की गई नपती अंतिम एवं सही होगी तथा इस भूखण्ड का प्रब्याजी एवं भू-भाटक (लीजरेंट) वास्तविक नपती के अनुसार देय होगा।
- यदि आधिकार्य के समय आबंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध होता है तो बढ़े हुए क्षेत्रफल की बढ़ी प्रब्याजी तथा भू-भाटक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होने वाली दर अनुसार देना होगा। यह राशि बढ़े हुए क्षेत्रफल के सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में आपको जमा करना होगी। यदि इस अवधि में आपके द्वारा राशि जमा नहीं कराई तो इस अवधि के बाद देय प्रीमियम तथा लीजरेंट की राशि पर विलम्ब ब्याज देना होगा।
- नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि कब्जा प्राप्ति के 6 माह के भीतर सक्षम स्वीकृति हेतु नगर निगम इन्दौर से नक्शा स्वीकृत कराना होगा एवं 04 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर न्यूनतम निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत अभिन्यास की दो प्रतियों प्राधिकारी कार्यालय में जमा करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण होने की सूचना भी देना अनिवार्य होगा।

पृष्ठांकन कमांक:

प्रतिलिपि

- कार्यपालन यंत्री श्री एम.पी. विमल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक यंत्री श्री राजेन्द्र शर्मा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ आबंटिती द्वारा दिये गये फोटो एवं नमूना हस्ताक्षर (प्रारूप-3) की मूलप्रति संलग्न प्रेषित है। मौके पर कब्जा देने के दिनांक से 7 दिन में "कब्जा रसीद" (प्रारूप-2 एवं प्रारूप-3), मूलतः एवं साईट प्लान संपदा शाखा में अनिवार्य रूप से भिजवाये।

संपदा अधिकारी वर्ग-2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

उपकारी सेक्टर 452003 (मोक्ष)

E-mail: idaindore7@yahoo.in

Phone no. 2531112, 2434541, 253355, 254339

// आवंटन पत्र //

क्रमांक ४६५५२

दिनांक

१६ जूलाई 2013

प्रति:

RAVINDRA SINGH BHATODIA
S.S. POLICE LINE
PAI ASST.
INDORE
PIN

13619492
05378

विषय : योजना क्रमांक 136 सेक्टर B के मूख्य क्रमांक 33B का आवंटन।

संदर्भ : कार्यालय का मूख्य आरक्षण पत्र क्रमांक

विषयाकृत मूख्य का आरक्षण आपके नाम पर किया गया था। आपके द्वारा मूख्य में श्रीमियम की 25 अविभाग विभाग एवं दूसरे दिन February 2013 को द्वारा विभिन्न विभागों विभागों को दिया गया है।

आपके नाम पर आरक्षित मूख्य क्रमांक 33B सेक्टर B का आवंटन शासन द्वारा क्रमांक 33 वर्ष विभाग 1975 एवं प्राधिकारी द्वारा बनाए गए व्यवन विनियम 1987 के तहत आवारीय विभाग द्वारा 25 अप्रैल 30 वर्ष की लीज पर किया जाता है। मूख्य का विवरण निम्नानुसार है -

मूख्य का अनुमानित अवधारणा :	54.00	वर्ग मीटर
दर :	₹ 5000.00	प्रति वर्ग मीटर
कुल श्रीमियम	₹ 270000.00	

प्रथम लीज अवधि के लिए लीजरेट

- (अ) लीजरेट प्रथम वर्ष के लिए : ₹ 15/- प्रति मीटर के मान से ₹ 810.00
 (ब) आगामी वर्षों के लिए : ₹ 3/- प्रति मीटर के मान से ₹ 162.00

अतः आप प्रथम वर्ष का लीजरेट ₹ 810.00 पर जारी रखने के दिनांक से 30 दिन के अन्तर्वाचिकारी कार्यालय में जमा करें अन्यथा उक्त अवधि पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष विभाग द्वारा देय आगामी वर्ष का लीजरेट भी देय हो जावेगा।

वार्षिक/मूख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

- नोट :- 1. यो यह अधिक विभागिक किश्तों का भूगतान नहीं होने पर आवंटन सम्भव नहीं होता।
 2-जब तक श्रीमियम की पूर्ण राशि जमा नहीं होती तब लोनोड सम्पादित रही जाती है।
 3- अपेक्षित पर किसी भी प्रकार का उचित प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती।
 4- इस संपर्क का विकास आरक्षण दिनांक से 15 वर्ष तक नहीं किया जा सकता।
 5- अपेक्षित प्रतिवर्षीय में किसी की अनुमति प्राप्त की जानी वाली नहीं होती।

7089478510

2010-05